चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १२६वीं बैठक
का कार्यवृत्त

दिनांक : २७.११.२००४

समय : पूर्वान्ह ११.३० बजे

स्थान : कुलपति सभा कक्ष

(62)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२
प्रबन्ध मण्डल की १२६वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर -२

दिनांक : नवम्बर २७, २००४
समय : पूर्वान्ह ११.३० बजे

उपस्थिति

१-	डा० पी० के० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
२-	श्री भाष्कर उपाध्याय, सयुंक्त सचिव, कृषि, प्रतिनिधि सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	डा० बी०एस०हन्सरा, सहायक महानिदेशक, (कृषि प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
४-	डा० रमेश यादव,	सदस्य
५-	प्रो० एस०एम०ए० रिजवी	सदस्य
६-	श्री शिव कुमार बेरिया, विधायक	सदस्य
७-	श्री सतीश महाना, विधायक	सदस्य
८-	श्री संत बी० एस० यादव,	सदस्य
९-	श्री आसिफ अली खाँ	सदस्य
१०-	श्रीमती मुन्नी राजपूत	सदस्य
११-	श्री आर० के० दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

निम्न सदस्य बैठक मे उपस्थित नहीं हो सकें-

१-	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
२-	सचिव, उच्च्व शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
३-	निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश	सदस्य
४-	निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश	सदस्य

मद संख्या १

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०७.०६.२००४ को सम्पन्न हुई १२५वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने १२५वीं बैठक, जो दिनांक ०७.०६.२००४ को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।

मद संख्या २

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १२५वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक ०७.०६.२००४ को सम्पन्न हुई १२५वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही पर सहमति एवं संतुष्टि व्यक्त की गयी। प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये कि पी०जी०डी०सी०ए० कोर्स में अधिकतर छात्र अनुतीर्ण होने तथा किसी के प्रवेश न लेने के सम्बन्ध मे गहराई से विश्लेषण किया जाय और यदि इस कोर्स में छात्रों के प्रवेश लेने की सम्भावना न पाई जाये तो इस कोर्स को बन्द कर दिया जाये।

मद संख्या ३

विज्ञापन संख्या १/२००४ द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों दलीप नगर (कानपुर देहात), मैनपुरी, बेलाताल (महोबा), इटावा एवं कन्नौज के अधीन पदों पर हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयन संस्तुतियों के सील बन्द लिफाफे खोलकर नियुक्तियों के अनुमोदन हेतु विचार का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों दलीप नगर (कानपुर देहात), मैनपुरी, बेलाताल (महोबा), इटावा एवं कन्नौज के अधीन निम्न पदों पर हुए साक्षात्कार के उपरान्त सील बन्द लिफाफे खोलकर चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया एवं नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया ।

S.No.	Name of Post	Name of Selected Candidate
1.	Training Associate (Extension)	**Scheduled Caste (SC)** 1- Vinod Prakash
		General (GN) 1- Mukesh Singh 2- Subhash Chandra Singh 3- Rajesh Rai
		Other Backward Caste (OBC) 1- Sushil Kumar

S.No.	Name of Post	Name of Selected Candidate
2.	Training Associate (Agronomy)	**Scheduled Caste (SC)** 1- Binod Kumar S/O Sh. Ram Sewak 2- Arvind Kumar S/O Sh. Puttu Singh
		General (GN) 1- Rajeev Kumar Singh S/O Dr. Bir Bahadur Singh 2- Jitendra Singh S/O Sh. Bal Ram Singh
		Other Backward Caste (OBC) 1- Vijay Bahadur Jaiswal S/O Sh. Bhagwan Das
3	Training Associate (Crop Protection)	**General (GN)** 1- Bhupendra Kumar Singh S/O Late Dr. D.R. Singh 2- Mahendra Nath Tripathi
		Other Backward Caste (OBC) 1- Abhimanyu 2- Jagdish Kishore
4	Training Associate (Horticulture)	**Scheduled Caste (SC)** 1- Sanjay Kumar S/O Sh. Basant Lal
		General (GN) 1- Shailendra Vikram Singh 2- Arun Kumar Singh
		Other Backward Caste (OBC) 1- Amar Singh 2- Dharmendra Yadav
5	Training Associate (Soil Science)	**General (GN)** 1- Khalil Khan 2- Ram Nagina Singh
		Other Backward Caste (OBC) 1- Arvind Kumar

S.No.	Name of Post	Name of Selected Candidate
6	Training Associate (Animal Husbandry/ Veterinary)	**Scheduled Caste (SC)** 1- Shashi Kant S/O Sh. Lutawan Ram
		General (GN) 1- Sanjay Kumar Pandey S/O Late Sh. V.N.Pandey 2- Chandra Kesh Rai S/O Sh. Durg Vijai Rai
		Other Backward Caste (OBC) 1- Mahendra Prasad S/O Sh. Mahadev 2- Yogesh yadav S/O Sh. Yadu Nath Singh Yadav
7	Training Associate (Home Science)	**Scheduled Caste (SC)** 1- Pushpa Devi
		General (GN) 1- Poonam Singh D/O Dr. Ram Nayak Singh

मद संख्या ४

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पर प्रगति आख्या।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की प्रस्तुत प्रगति आख्या पर संतोष व्यक्त किया।

मद संख्या ५

बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शैक्षिक एवं सहायक पदों के सृजन पर विचार एवं स्वीकृति पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु निम्न शिक्षक / शिक्षणेत्तर पदों के सृजन की स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।

क्रम संख्या	पद	कुल पद	पाठ्यक्रम का नाम एवं पदों की संख्या			नियत वेतन प्रतिमाह प्रति शिक्षक रूपये
			इलै० एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	
१	प्राध्यापक	०३	०१	०१	०१	१५०००
२	सह प्राध्यापक	०२	.	०१	०१	१२०००
३	सहायक प्राध्यापक	०६	०३	०३	०३	१००००
४	सहायक प्राध्यापक (गणित)	०१				१००००
५	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी भाषा)	०१				१००००

सहायक पद

क्रम संख्या	पद	संख्या	नियत वेतन प्रतिमाह प्रति कर्मचारी
१	कम्प्यूटर हार्डवेयर इन्सट्रक्टर कम टेक्नीशियन	०१	६०००
२	कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम इन्सट्रक्टर	०१	५०००
२	इलैक्ट्रीकल इन्सट्रक्टर कम टेक्नीशियन	०१	५०००
३	मैकेनिकल इंजी० इन्सट्रक्टर कम टेक्नीशियन	०१	५०००
४	कम्प्यूटर टाइपिस्ट	०१	४०००
५	लैब क्लीनर (प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु एक-एक) प्रत्येक २५००/-	०३	२५००

उपरोक्त पदों पर शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध निम्न प्रतिबंधों को भी सुनिश्चित किया जाय -

१. शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर नियत अवधि के लिए की जायेगी।
२. उक्त पदों हेतु धनराशि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से ही भुगतान की जायेगी। शासन / विश्वविद्यालय की कोई देनदारी नहीं होगी।
३. यदि प्रश्नगत पाठ्यक्रम वर्तमान अथवा भविष्य में स्ववित्त पोषण के आधार पर संचालित किया जाना सम्भव न हो तो इस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाय तथा संविदा पर रखे गये शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवायें स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

मद संख्या ६

विश्वविद्यालय में फैकेल्टी आफ बेसिक सांइसेज तथा ह्यूमिनिटीज खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने फैकेल्टी आफ बेसिक सांइसेज तथा ह्यूमिनिटीज खोले जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें निम्न विभाग होंगे-

१. एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री
२. क्राप फिजियोलोजी
३. जैव प्रौद्योगिकी
४. सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायलोजी)

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त विभागों में एम०एस-सी० में प्रवेश की न्यूनतम आर्हता बी०एस-सी०कृषि (आनर्स) के साथ बी०एस-सी०(बायोलाजी) निर्धारित किये जाने पर भी अपनी सहमति प्रदान की।

प्रबन्ध मण्डल ने निम्न विवरण के अनुसार पदनाम बदलने तथा अर्न्तविभागीय पद परिर्वतन करने हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की।

(क) एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री विभाग :

क्र०सं०	वर्तमान पद	वेतनमान रू०	पद संख्या	प्रस्तावित परिर्वतन
१	असिस्टेन्ट केमिस्ट (लेग्यूम)	८०००-१३५००	१	सहायक प्राध्यापक

(ख) क्राप फिजियोलोजी विभाग

क्र०सं०	वर्तमान पद	वेतनमान रू०	पद संख्या	प्रस्तावित परिर्वतन
१	वैज्ञानिक	१२०००-१८३००	२	इनमें एक का पदनाम सह् प्राध्यापक किये जाने की स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।
२	कनिष्ठ वैज्ञानिक	८०००-१३५००	६	इनमें तीन का पदनाम सहायक प्राध्यापक किये जाने की स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।

(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र० सं०	वर्तमान पद	वेतनमान रू०	पद संख्या	प्रस्तावित परिर्वतन
१	प्राध्यापक	१६४००-२२४००	१	अर्थ बनस्पति विद् (रवी शस्य) के यहॉ चीफ सिरियालिस्ट (रू०१६४००-२२४००) के पद को प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।
२	सह् प्राध्यापक	१२०००-१८३००	१	पादप प्रजनन विभाग में स्वीकृत सीड एनालिस्ट (रू०१२०००-१८३००) के पद को सह् प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।
३	सहायक प्राध्यापक	८०००-१३५००	२	क्षेत्रीय शोध केन्द्र भरारी में कनिष्ठ वैज्ञानिक (रू०८०००-१३५००) के दो पदों को सहायक प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने स्वीकृति / संस्तुति प्रदान की।

(घ) सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (माइक्रोबायलोजी):

कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग में माइक्रोबायलोजी इकाई कार्यरत है जिसे सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में परिवर्तित करने की संस्तुति प्रदान की तथा निम्न एक प्राध्यापक के पद को सृजित किये जाने एवं इस इकाई में कार्यरत सह् प्राध्यापक/वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को निम्नानुसार पदनाम परिवर्तित करते हुये पद सहित इस विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या	प्रस्तावित परिर्वतन
१	प्राध्यापक	१६४००-२२४००	१	नया पद सृजित करने की संस्तुति की।
२	सह् प्राध्यापक/ वरिष्ठ वैज्ञानिक	१२०००-१८३००	२	सह प्राध्यापक पदनाम परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
३	कनिष्ठ वैज्ञानिक (१+१ सीनियर रिसर्च असिसटेन्ट)	८०००-१३५००	२	सहायक प्राध्यापक पदनाम परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार पदों के सृजन, नाम परिर्वतन तथा अर्न्तविभागीय समायोजन एवं पदनाम परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

मद संख्या ७

गृह विज्ञान संकाय में पद सृजित / परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने गृह विज्ञान संकाय में निम्न विवरण के अनुसार पदनाम बदलने तथा अर्न्तविभागीय पद परिवर्तन करने एवं नये पदों के सृजन हेतु अपनी संस्तुति प्रदान की।

पदनाम	पद सं०	वेतनमान	प्रबन्ध मण्डल की संस्तुति
अधिष्ठाता गृह विज्ञान संकाय	१	१६४००-२२४००	पद सृजित है, शासन से पद को भरे जाने के प्रस्ताव भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की।
खाद्य एवं पोषण विभाग			
प्राध्यापक	१	१६४००-२२४००	पद सृजित किये जाने की संस्तुति प्रदान की।
सह् प्राध्यापक	१	१२०००-१८३००	प्लान्ट पैथोलाजी विभाग में सृजित प्लान्ट पैथोलाजिस्ट टू यू०पी० गवर्नमेन्ट पद (रू०१२०००-१८३००) को सह् प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
परिवार संशाधन प्रबन्धन			
प्राध्यापक	१	१६४००-२२४००	पद सृजित है, शासन से पद को भरे जाने के प्रस्ताव भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की।
सहायक प्राध्यापक	१	८०००-१३५००	कीट विज्ञान विभाग में सृजित प्रसार (एक्सटेन्सन) इन्टोमोलाजिस्ट पद (रू०८०००-१३५००) को सहायक प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
वस्त्र एवं परिधान			
प्राध्यापक	१	१६४००-२२४००	पद सृजित किये जाने की संस्तुति प्रदान की।
सह् प्राध्यापक	१	१२०००-१८३००	मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में सृजित एग्रीकेमिस्ट टू यू०पी० गवर्नमेन्ट पद (रू०१२०००-१८३००) को सह् प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
सहायक प्राध्यापक	१	८०००-१३५००	रीजनल रिसर्च स्टेशन माधुरी कुण्ड में सृजित असिस्टेन्ट प्रोफेसर (प्लान्ट फिजोलाजी) पद (रू०८०००-१३५००) को सहायक प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
प्रसार शिक्षा एवं संचार विभाग			
प्राध्यापक	१	१६४००-२२४००	पद सृजित किये जाने की संस्तुति प्रदान की।
सह् प्राध्यापक	१	१२०००-१८३००	प्लान्ट फिजोलाजी विभाग में सृजित फिजोलाजिस्ट टू यू०पी० गवर्नमेन्ट पद (रू०१२०००-१८३००) को सह् प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
सहायक प्राध्यापक	१	८०००-१३५००	मृदा एवं कृषि रसायन विभाग में सृजित केमिस्ट (रू०८०००-१३५००) को सहायक प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।

मानव विकास विभाग			
प्राध्यापक	१	१६४००-२२४००	पद सृजित किये जाने की संस्तुति प्रदान की।
सह प्राध्यापक	१	१२०००-१८३००	कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में सृजित इकोनामिस्ट टू यू०पी० गवर्नमेन्ट पद (रू०१२०००-१८३००) को सह प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
सहायक प्राध्यापक	१	८०००-१३५००	सब स्टेशन हजरतपुर में सृजित असिस्टेन्ट प्रोफेसर(एनीमल न्यूट्रीशन) (रू०८०००-१३५००) को सहायक प्राध्यापक के पद में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार पदों के सृजन, नाम परिर्वतन तथा अर्न्तविभागीय समायोजन एवं पदनाम परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

मद संख्या ८

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित/चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के निम्न अवकाश इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किये कि भविष्य में कोई भी शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सक्षम अधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृति कराये अवकाश पर नहीं जायेगा तथा जब भी अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगें तो उसमें शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के अवकाश की पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। यदि यह पाया गया कि शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृत के अवकाश पर गया है तो उसको अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिये जायें।

क्र० म०	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं विभाग	स्वीकृत अवकाश अवधि
१	श्रीमती सुमित्रा सिंह, कनिष्ठ लिपिक, प्रसार निदेशालय।	दिनांक २.६.२००३ से ३०.११.२००३ तक ६० दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।
२	श्री सुरेश चन्द्र, मेट शाक-भाजी विज्ञान विभाग।	दिनांक १३.८.२००३ से ३०.११.२००३ तक ११० दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।
३	श्री बनवारी लाल, प्रयोगशाला परिचर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	दिनांक १.४.२००३ से ८.४.२००३ तक ८ दिन का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक ६.४.२००३ से ४.८.२००३ तक ११८ दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया।
४	श्री अजय कुमार, क्षेत्र परिचर, अर्थ वनस्पति विद् (दलहन)	दिनांक १६.८.२००३ से २१.५.२००३ तक २७८ दिन का चिकित्सा अवकाश एवं दिनांक २२.५.२००३ से १५.७.२००३ तक ५५ दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृति किया।
५	श्री सत्य प्रकाश, हलवाहा, निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र।	दिनांक २३.१२.२००३ से २६.२.२००४ तक ६६ दिन चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।
६	श्री रमेश चन्द्र, हलवाहा, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग।	दिनांक २८.१०.२००३ से २७.१२.२००३ तक ६१ दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।

७	श्री विजय पाल सिंह, मेट, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग।	दिनांक १.१.२००३ से २२.५.२००३ तक १४२ दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।
८	श्री राम आसरे, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा विभाग।	दिनांक २.१२.२००३ से २९.२.२००४ तक ९० दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।
९	श्री उदयभान, चपरासी, सस्य विज्ञान विभाग।	दिनांक २५.११.२००२ से २.९.२००३ तक २८२ दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।
१०	श्री जय कुमार निगम, सहायक लेखाकार, मृदा लवणता योजना	दिनांक ३०.८.२००३ से ३०.११.२००३ तक ९३ दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।
११	श्री जगदीश प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय कृषि प्रयोग केन्द्र	दिनांक ३.६.२००४ से १९.९.२००४ तक १०९ दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।
१२	श्री दिलशेर खाँ, इलैक्ट्रिकल मैकेनिक, विश्वविद्यालय अभियन्ता विभाग	दिनांक ३१.५.२००४ से ५.८.२००४ ६७ दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।
१३	श्रीमती जय श्री गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान संकाय	दिनांक १५.३.२००४ से २६.७.२००४ तक १३४ दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या ९

डा० संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन) कृषि ज्ञान केन्द्र, सीतापुर में कार्यरत को भूमि सुधार निगम गोमतीनगर, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान पद पर दिनांक २१.७.२००४ से ३०.६.२००५ तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा० संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पौध उत्पादन) कृषि ज्ञान केन्द्र, सीतापुर को दिनांक २१.७.२००४ से ३०.६.२००५ तक का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १०

डा० राजीव, विषय वस्तु विशेषज्ञ, (उपज उत्पादन), कृषि ज्ञान केन्द्र, हजरतपुर, फिरोजाबाद पर कार्यरत को उ०प्र० डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट परियोजना (डी.ए.एस.पी.) में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान पद पर एक वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के उपरान्त दिनांक १४.५.२००४ से ७.८.२००४ तक का और धारणाधिकार सुरक्षित रखने संबन्धी प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा० राजीव, विषय वस्तु विशेषज्ञ, (उपज उत्पादन), कृषि ज्ञान केन्द्र, हजरतपुर, फिरोजाबाद को दिनांक १४.५.२००४ से ७.८.२००४ तक का और धारणाधिकार सुरक्षित रखने संबन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या ११

डा०डी०एन० भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक, अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग की नियुक्ति अलीमाया इथोपिया में प्राध्यापक पद पर हो जाने के फलस्वरूप डा० भारद्वाज को कार्यमुक्त होने के दिनांक १२.१०.२००४ के अपरान्ह से ३०.६.२००६ तक के लिए उनके मूल पद पर धरण-धारण (लियन) सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर डा०डी०एन० भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक, अनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग को दिनांक १२.१०.२००४ के अपरान्ह से ३०.६.२००६ तक के लिए उनके मूल पद पर धरण-धारण (लियन) सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १२

बजट परीक्षण समिति की बैठक दिनांक ११ जून, २००४ को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रबन्ध मण्डल ने बजट परीक्षण समिति की बैठक दिनांक ११ जून, २००४ को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन निम्न संशोधनों के साथ दिया।

१. बजट परीक्षण समिति की यह संस्तुति कि ''कृषि विश्वविद्यालय की वित्तीय अनुशासन के विषय पर समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वित्तीय उपाशय के प्रत्येक निर्णय पर शासन की सहमति के बिना कोई कार्यवाही न की जाय। परन्तु इसकी अवहेलना करते हुए बिना शासन के स्वीकृति से ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य करने पर पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस प्रकार शासनादेश के विपरीत कार्य पर समिति ने गम्भीरता से लिया और वित्त नियन्त्रक से यह अपेक्षा की गई है कि वित्तीय मामलों में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसी क्रम में समिति ने यह निर्णय लिया है कि शासन के अनुमति के बिना ही जो पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है उसे सम्बन्धित से वसूल कर लिया जाय और भविष्य में इस प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान शासन के अनुमति के बिना न दिया जाय।'' पर यह निर्देश दिये कि शिक्षकों को दिसम्बर, २००४ से उक्त मद में भुगतान बन्द कर दिया जायें किन्तु पूर्व में भुगतान की गई धनराशि की वसूली न की जाये।

२. वर्ष २००४-०५ के प्रस्तावित अनुमानों में आकस्मिक मद के अर्न्तगत प्रबन्ध मण्डल मद में संस्तुत धनराशि रू० २०,०००.०० के स्थान पर रू० १,२०,०००.०० की जाय।

मद संख्या १३

राष्ट्रीय तिलहन एवं बनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगॉव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित ३ वर्षीय परियोजना "National Network of Integrated Development of Jatropha & Karanja" को स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त परियोजना के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि रू० १६.६७ लाख को राष्ट्रीय तिलहन एवं बनस्पति तेल विकास बोर्ड के अनुसार व्यय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

S. No.	Component	Allocation			Total
		2004-05	2005-06	2006-07	
1	Salary SRF @ Rs. 9000 + HRA- Two	2.48	2.48	2.72	7.68
	Salary skilled Helper @ Rs. 3000/- Two	0.72	0.72	0.80	2.24
2	a) Input for nursery raising including wages etc.	0.52	0.52	-	1.04
	b) Input for plantation including wages etc.	0.54	1.08	1.08	2.70
3	POL / Travel (Includes hiring of vehicle) allowances	0.60	0.60	0.30	1.50
4	Contingency, institutional charges, Misc. etc	0.49	0.54	0.48	1.51
	Total	5.35	5.94	5.38	16.67

१२

मद संख्या १४

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

मद संख्या १४.१

छात्र/छात्राओं के लिए मानव चिकित्सालय में पुरूष एवं महिला चिकित्सक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा छात्र/छात्राओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये और शासन द्वारा पदों को भरने की अनुमति न प्रदान करने के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए एक पुरूष एवं एक महिला चिकित्सक को रू० ८०००/- प्रतिमाह प्रति चिकित्सक के भुगतान पर कार्य करने हेतु अनुबंधित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १४.२

वानिकी विभाग को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल में विश्वविद्यालय में वानिकी विभाग को सुदृढ़ करने हेतु निम्न विवरण के अनुसार पदनाम बदलने तथा अन्तर्विभागीय पद परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की।

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान	पद संख्या	प्रस्तावित परिवर्तन
१	प्राध्यापक	१६४००-२२४००	१	नार्प सब स्टेशन में सृजित सह् प्राध्यापक पद (रू०१२०००-१८३००) को उच्चीकृत कर प्राध्यापक वानिकी (रू०१६४००-२२४००) करने हेतु शासन को भेजे जाने की संस्तुति की।
२	सह् प्राध्यापक/ वरिष्ठ वैज्ञानिक	१२०००-१८३००	१	भूमि संरक्षण विभाग में सृजित वैज्ञानिक(रू०१२०००-१८३००) पदनाम को सह् प्राध्यापक में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।
३	सहायक प्राध्यापक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक	८०००-१३५००	३	भूमि संरक्षण विभाग में सृजित कनिष्ठ वैज्ञानिकों (रू०८०००-१३५००) पदनाम को सहायक प्राध्यापक में परिवर्तित करने की संस्तुति / स्वीकृति प्रदान की।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार पदों के सृजन, नाम परिर्वतन तथा अर्न्तविभागीय समायोजन एवं पदनाम परिर्वतन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाय तथा शासन की स्वीकृति के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।

मद सं० १४.३

श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे को शिक्षक घोषित करने तथा सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू० ८०००-१३५०० स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया।

प्रबन्ध मण्डल को मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे के सम्बन्ध में निम्न प्रकार अवगत कराया-

१. श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय की नियुक्ति ट्रेनिंग सहायक पद पर वेतनमान रू० ५००-९०० में दिनांक २१.११.८५ को विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। श्री पाण्डेय सस्य विज्ञान में मास्टर डिग्री धारण करते हैं।

२. श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय को उक्त वेतन का पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश दिनांक १४ अक्टूबर १९९३ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक १.१.८६ से रू० १७४०-३००० स्वीकृत किया गया है। दिनांक १.१.९६ से पुनरीक्षित वेतनमान अभी भी निर्णयार्थ शासन स्तर पर लम्बित है।

३. समान रूप से उक्त वेतनमान में कार्यरत अन्य शोध सहायक/तकनीकी सहायक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक, जिनकी संख्या ४७ है को माननीय उ०प्र० शासन इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या-८३६/९४ पर मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक ७.८.२००२ द्वारा प्रश्नगत सहायकों को शासन ने सहायक प्राध्यापक वेतनमान रू० ८०००-१३५०० इस शर्त के साथ स्वीकृत किया है कि यह स्वीकृत शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिब्यू याचिका पर दिये गये अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

४. माननीय उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय को आधार बनाकर श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय तथा अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ में याचिका संख्या-१७७(एस/बी)/२००३ योजित की है जिसमें उन्होंने सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू० ८०००-१३५०० स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक ३.२.२००३ द्वारा निर्देश दिया कि श्री पाण्डेय के प्रत्यावेदन को उ०प्र० शासन निस्तारित करें।

५. श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की १२३वीं बैठक दिनांक ८.८.२००३ को प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि वेतन पुनरीक्षण तथा सहायक प्राध्यापक वेतनमान रू० ८०००-१३५०० स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रकरण तथ्यों सहित उ०प्र० शासन को निर्णयार्थ प्रेषित किया जाय। प्रबन्ध मण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय का पुनरीक्षित वेतनमान तथा सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रू० ८०००-१३५०० स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकरण को तथ्यों सहित विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक २९ अगस्त २००३ द्वारा शासन को निर्णयार्थ प्रेषित कर दिया है, जो निर्णयार्थ शासन स्तर पर लम्बित है।

६. श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने महामहिम कुलाधिपति को भी उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रत्यावेदन दिया था जिसपर महामहिम ने अपने आदेश दिनांक ९ जून २००३ द्वारा यह निर्णय दिया है कि प्रकरण का निस्तारण चूँकि उ०प्र० शासन द्वारा किया जाना है अतः उ०प्र० शासन इस प्रकरण पर यथाशीघ्र निर्णय लें। कुलाधिपति ने तद्नुसार प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रत्यावेदन पर यथोचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसकी सूचना महामहिम ने श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय को भी दे दी है।

७. विश्वविद्यालय ने भी श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय के प्रत्यावेदन को दिनांक २४ अप्रैल २००३ द्वारा निस्तारित कर दिया है, जिसकी सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय को दे दी गई है।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि यह प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है अतः शासन स्तर पर निर्णय हेतु अनुस्मारक भेजा जायें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

27.11.04

दिनांक : २७ नवम्बर, २००४

(राजीव कुमार दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल